रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277972
CG-DL-E-17112026-277972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5931] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2026/कार्तिक 21, 1948
No. 5931] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2026/KARTIKA 21, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2026

का.आ. 6170(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण), ग्यारहवां संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में,-

(i) उप खंड (ज) में, " और जैव गैस संयंत्रों "शब्दों के स्थान पर शब्द ",जैव गैस संयंत्रों और पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक"" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-खंड (ज) में,

(क) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1. के रूप में संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्याकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात-

"स्पष्टीकरण 2 – उप-खंड ((ज), खंड 2 के उप-खंड (थ) की मद (xi), खंड 27 ख, खंड 29 के उप-खंड (1ङ), खंड 29 घ और अनुसूची 8 के भाग घ , ङ तथा च के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्त "पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक" का अर्थ है पायरोलिसिस विधि से तैयार किया गया कोई भी कार्बनिक पदार्थ;;";

(ख) उप-खंड (थ) में, मद (10) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात-

"(11) अनुसूची 8 के भाग घ में शामिल पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक"के संबंध में, के संबंधित स्तंभ के अधीन उपवर्णित मानक होगा "

3. उक्त आदेश के, खंड 27 ख में, -

(i) पार्श्व के शीर्षक में, " और अखाद्य तेल-रहित खली उर्वरक " शब्दों के, के स्थान पर ", अखाद्य योग्य तेल-रहित खली उर्वरक, संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक या जैव गैस संयंत्रों और "पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक " शब्द रखे जाएंगे।

(ii)" और अखाद्य योग्य तेल-रहित खली उर्वरक " शब्दों के स्थान पर ", अखाद्य तेल-रहित खली उर्वरक, संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक या जैव गैस इकाई और पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक " शब्द रखे जाएंगे;

(iii पैरा 2 में "कार्बनिक उर्वरकों / अखाद्य योग्य तेल-रहित उर्वरक , " शब्दों के, के स्थान पर ",कार्बनिक उर्वरकों ,अखाद्य तेल-रहित खली उर्वरक, संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों वर्धक या जैव गैस इकाई से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक और पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक " शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त आदेश के, खंड 29 में , उपखंड (1घ)के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"(1ङ) किसी निरीक्षक द्वारा लिए गए पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक नमूनों का विश्लेषण क्षेत्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती केंद्र बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, इम्फाल, और, नागपुर या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रयोगशाला में अनुसूची 8 के भाग च में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।";

5 उक्त आदेश के ,खंड 29 घ में,-

(i) पार्श्व के शीर्षक में, ", और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" शब्दों के स्थान पर ", संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों या जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक और पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक " शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-खंड 1 में, "और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक" शब्दों के स्थान पर ", संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों या जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक और पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक " शब्द रखे जाएंगे;

6. उक्त आदेश के, अनुसूची 8 में , –

(i) शीर्षक "संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से प्राप्त कार्बनिक कार्बन वर्धक ", से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"भाग क".

(ii) भाग ग, और उसमें दी गई प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

" भाग घ

पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक

1. बायोचार

क्र.सं	**पैरामीटर**	**विनिर्देश**
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	20
(ii)	भार के आधार पर कार्बनिक कार्बन न्यूनतम	30
(iii)	एच:सी (कार्बनि कार्बन)	0.7 अधिकतम

(iv)	पी एच	6.5 – 9.5
(v)	विधुत चालकता	<4.0
(vi)	भारी धातु अंश (मि.ग्रा/कि.ग्रा के रूप में) अधिकतम	
	आर्सेनिक (As_2O_3 के रूप में)	10
	कैडियम (Cd के रूप में)	5
	क्रोमियम (Cr के रूप में)	50
	तांबा (Cu के रूप में)	300
	जिंक (Zn के रूप में)	1000
	सीसा (Pb के रूप में)	100
	पारा (Hg के रूप में)	0.15
	निकिल (Ni के रूप में)	50

भाग ङ

पायरोलिसिस विधि से निर्मित *कार्बनिक* कार्बन *वर्धक* के नमूने लेने की प्रक्रिया, अनुसूची 2 भाग क में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार

भाग च

पायरोलिसिस विधि *द्वारा निर्मित कार्बनिक कार्बन वर्धक* के विश्लेषण की विधि

1. नमी (आर्द्रता का अनुमान: -

प्रक्रिया

तैयार नमूने का लगभग 5 ग्राम एक साफ और सूखे पेट्री डिश में लें और उसका वजन मिलीग्राम के निकटतम तक मापें और इसे ओवन में 65° सें.ग्रे. ±1° सें.ग्रे. पर लगभग 5 घंटे तक तब तक गर्म करें, जब तक कि इसका वजन स्थिर न हो जाये। इसे डेसिकेटर में ठंडा करें और फिर से वजन करें। वजन में प्रतिशत की कमी को आर्द्रता की मात्रा के रूप में रिपोर्ट करें।

गणना:

$$\text{वजन के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत} = \frac{100\ (\text{बी} - \text{सी})}{\text{बी} - \text{ए}}$$

ए = पेट्री डिश का वजन

बी = सूखने से पहले पेट्री डिश और सामग्री (मटेरियल) का कुल वजन

सी = सूखने के बाद पेट्री डिश और सामग्री (मटेरियल) का कुल वजन

2. कार्बनिक कार्बन का अनुमान : -

उपकरण:-

(i) सिलिका / प्लैटिनम क्रूसिबल (25 ग्राम क्षमता)

(ii) मफल फर्नेस

प्रक्रिया

ओवन में 105°C पर 6 घंटे तक सुखाए गए 10 ग्राम सैंपल को, पहले से तौली गई क्रूसिबल में सटीक रूप से तौलें। फिर इस सामग्री को मफल फर्नेस में 650 – 700° सें.ग्रे. पर 6-8 घंटे तक गर्म करें। इसे कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें और 12 घंटे के लिए डेसिकेटर में रखें। इसके बाद क्रूसिबल सहित सामग्री का वजन करें।

गणना

नीचे दिए गए सूत्रों का उपयोग करके कुल कार्बनिक कार्बन की गणना करें: -

कुल कार्बनिक पदार्थ % = (प्रारंभिक वजन – अंतिम वजन) × 100

लिये गये नमूने का वजन

कुल कार्बनिक कार्बन % = कुल कार्बनिक पदार्थ %

1.724

3 एचःसी कार्बनिक **का अनुमान**

उपकरण - सीएनएच विश्लेषक

प्रक्रिया:

शुष्क दहन- सीएनएच विश्लेषक द्वारा कुल कार्बन और हाइड्रोजन का विश्लेषण।

एएसटीएमडी 4373 के माध्यम से अकार्बनिक कार्बन

कार्बनिक कार्बन की गणना: कुल कार्बन – अकार्बनिक कार्बन।

4. पी एच **का अनुमान**

प्रक्रिया

(क) 25 ग्राम बायोचार को 500 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वॉटर (आसुत जल) में मिलाकर एक सस्पेंशन तैयार करें और इसे रोटरी शेकर पर 2 घंटे तक हिलाएं।

(ख) बकनर फ़नल का उपयोग करते हुए, वैक्यूम के माध्यम से इसे वॉटमैन नंबर 1 या इसके समान फ़िल्टर पेपर से छान लें।

(ग) पी एच मीटर की सहायता से छने हुए घोल का पी एच निर्धारित करें।

5. **भारी धातुओं का अनुमान**

(क)) **कैडमियम, तांबा, क्रोमियम, सीसा, निकेल और जस्ता - अनुसूची 4 के भाग घ के क्रम संख्या 10 के अनुसार।**

(ख) **पारा - अनुसूची 4 के भाग घ के क्रम संख्या 11 के अनुसार।**

(ग) **आर्सेनिक - अनुसूची 4 के भाग घ के क्रम संख्या 12 के अनुसार।**

[फा .सं. 2-2/2026 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सख्यांक का.आ. 5294(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 11th November, 2026

S.O. 6170(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: –

1. Short title and commencement. – *(1)* This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Eleventh Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, -

(i) in sub-clause *(h),* for the words "and Biogas plants", the words ", Biogas plants and Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis" shall be substituted;

(ii) in sub-clause *(h),* –

(A) the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1,* and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: –

"Explanation. 2 – For the purposes of sub-clause *(h),* item *(xi)* of sub-clause *(q)* of clause 2, clause 27B*,* sub-clause *(1E)* of clause 29*,* clause 29D and Parts D, E and F of the Schedule VIII, the expression "Organic carbon enhancer manufactured by pyrolysis" means any organic material produced by pyrolysis method;";

(B) in sub-clause *(q)*, after item *(x)*, the following item shall be inserted, namely, —

"*(xi)* in relation to Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis, be the standard set out under the respective column of Part D in the Schedule VIII;".

3. In the said Order, in clause 27B, -

(i) in the marginal heading for the words "and Non-edible de-oiled cake fertiliser", the words "Non-edible de-oiled cake, Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Bio Gas Plant or Bio Gas unit, and Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis" shall be substituted;

(ii) for the words "and Non-edible de-oiled cake fertiliser", the words ", Non-edible de-oiled cake fertiliser, Organic Carbon Enhancer derived from compressed biogas plant or Biogas unit and Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis" shall be substituted;

(iii) in para 2 for the words "organic fertiliser/non-edible de-oiled cake fertiliser", the words ", organic fertilisers, non-edible de-oiled cake fertiliser, Organic Carbon Enhancer derived from Compressed Bio Gas Plant or Bio Gas unit and Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis" shall be substituted.

4. In the said Order, in clause 29, after sub-clause *(1D),* the following sub-clause shall be inserted, namely: -

"*(1E)* The samples of Organic Carbon Enhancers manufactured by pyrolysis drawn by an inspector, shall be analysed in accordance with the procedure contained in part F of Schedule VIII in the Regional Centre of Natural and Organic Farming at Bengaluru, Bhubaneshwar, Ghaziabad, Imphal and Nagpur or in any laboratory notified by Central Government or State Government.

5. In the said Order, in clause 29 D, -

(i) in the marginal heading, for the words "and Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas Plants", the words ", Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas Plant or Bio Gas Plants and Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis" shall be substituted;

(ii) in sub-clause *(1),* for the words "and Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas Plants", the words ", Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas Plants or Bio Gas Plant and Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis" shall be substituted.

6. In the said Order, in Schedule VIII, –

(i) before the heading "Organic Carbon Enhancer from Compressed Bion Gas Plants", the following shall be inserted, namely: –

"Part A".

(ii) after Part C and entries thereto, the following shall be inserted, namely: -

"Part D

Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis

1. Biochar

Serial Number	Parameter	Specification
(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	20
(ii)	Organic carbon per cent. by weight,minimum	30
(iii)	H: C org	0.7 maximum
(iv)	pH	6.5-9.5
(v)	Electrical conductivity	<4
(vi)	Heavy metal content mg./Kg., maximum	
	Arsenic(as As_20_3)	10
	Cadmium (as Cd)	5
	Chromium (as Cr)	50
	Copper (as Cu)	300
	Zinc (as Zn)	1000
	Lead (as Pb)	100
	Mercury as Hg.	0.15
	Nickel as Ni	50

Part E

Procedure for drawal of samples of Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis method

As per the methodology mentioned in Schedule II, Part A.

Part F

Method of analysis of Organic Carbon Enhancer manufactured by pyrolysis method

1. Estimation of moisture: -

Procedure

Weigh to the nearest mg about 5 gm. of the prepared sample in a weighed clean, dry Petri Dish. Heat in an oven for about 5 hours at 65ºC ±1oC to constant weight. Cool in a dessicator and weigh. Report percentage loss in weight as moisture content.

Calculation:

Moisture percent by weight = $\frac{100\ (B-C)}{B-A}$

A = Weight of the Petri Dish

B = Weight of the Petri dish plus material before drying

C = Weight of the Petri Dish plus material after drying

2. Estimation of organic carbon

Apparatus: -

(i) Silica /platinum crucible 25-gram capacity

(ii) Muffle furnance

Procedure

Accurately weigh 10 gm of sample dried in oven at 105^0C for 6 hrs., in a pre-weighed crucible and ignite the material in a Muffle furnace at 650 – 700ºC for 6-8 hrs. Cool to room temperature and keep in Desiccator for 12 hrs. weigh the contents with crucible

Calculation

Calculate the total organic carbon by the following formulae: -

Total Organic matter % = $\frac{\text{Initial wt. – final wt.}}{\text{wt. of sample taken}} \times 100$

Total OC% = $\frac{\text{Total organic matter \%}}{1.724}$

3. Estimation of H: Corg

Apparatus: - CNH Analyser

Procedure:

Total Carbon and H analysis by dry combustion-CNH analyzer.

Inorganic Carbon through ASTM D 4373

Organic Carbon calculated as Total C – Inorganic C

4. Estimation of pH

Procedure

(a) Make 25 g of biochar into a suspension in 500 ml of distilled water and shake on a rotary shaker for 2 hours.

(b) Filter through Whatman No. 1 or equivalent filter paper under vacuum using a Buchner funnel.

(c) Determine pH of the filtrate by pH meter.

5. Estimation of heavy metal

(a) Cadmium, Copper, Chromium, Lead, Nickel and Zinc as per serial number 10 of Part D of the Schedule IV.

(b) Mercury as per serial number 11 of Part D of the Schedule IV.

(c) Arsenic as per serial number 12 of Part D of the Schedule IV.".

[F. No.2-2/2026-FLU]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note: -The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*ii*) *vide* notification number G.S.R. 758 (E) dated 25th September, 1985 and was last amended *vide* S.O. 5294 (E) dated the 24th September, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA